an>

Title: The Minister of Exteneral Affairs made a suo moto statement regarding the status of Indians held captive in Iraq.

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हृदय से आदरणीय खड़गे जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने विषय की संजीदगी को समझा और शांति से यह सदन मेरी बात सुने, इसका प्रबंध किया, बहुत-बहुत आभार खड़गे जी।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): जो लोग पहले से ही शांत हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं वही कहने लगी थी, मेरा अगला वाक्य वही था कि बाकी पूरा सदन सुनने के लिए तैयार था, शांत बैठा था, लेकिन जो लोग वैल में थे, उनकी तरफ से, उनके दल के नेता ने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं, इसलिए उनके प्रति मैंने विशेष आभार व्यक्त किया है।

अध्यक्ष जी, इराक में बंधक 39 भारतीयों का यह मसला पिछले चार-पांच दिनों से फिर से गरमा गया। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए संसदीय मर्यादा का तकाजा था कि मैं संसद में ही आकर बोलूं, बाहर कुछ न कहूं। इसके लिए पिछले तीन दिन से प्रयास कर रही हूं। परसों मैंने आपको लिखित में कहा कि मैं यहां आकर उत्तर देना चाहती हूं, आपने कहा कि शाम पांच बजे आ जाइये, लेकिन उससे पहले हाउस उठ गया। कल पुनः कोशिश की, आज फिर मैंने कहा कि 12 बजे अगर मुझे मौका दे दिया जाए, परंतु चलिये मौका मिला।

अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी पृष्ठभमि से यह शुरू करना चाहती हूँ कि यह घटना 15 जून, 2014 की है। हमारी सरकार 26 मई, 2014 को बनी थी। यानि हमारी सरकार के बनने के मात्र 20 दिन बाद यह घटना घट गई थी। घटना का पता ऐसे चला कि वहां से एक व्यक्ति, जिसका नाम हरजीत मसिह है, वह आया। उसने यह कहा कि हम 40 लोगों को आईएसआईएस के लोगों ने बंधक बना लिया था, 39 लोग मेरे सामने मार दिए गए और मैं अकेला वहां से बच निकला। हरजीत की कहानी में काफी विरोधाभास हैं, लेकिन मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहती हूँ। मैंने यह कहानी सुनने के बाद, क्योंकि हरजीत मसिह से मेरी ही सबसे पहले बात हुई थी, मैं उस सारे विस्तार में जाना नहीं चाहती हूँ, उसकी कहानी सुनने के बाद, मैंने अपने यहां एंबेसी को कहा कि ये कह रहे हैं कि मोसुल से अरबिल जाते हुए एक जंगल में हमको मार दिया, तुम पूरे मोसुल में चप्पा-चप्पा छान मारो। मोसुल के आस-पास भी सौ किलोमीटर तक छान मारो, कहीं तो 39 लाशें पड़ी मिलेंगी। अगर लाशें भी ठिकाने लगा दी गयी हैं, तो खून के धब्बे तो होंगे। आखिर 39 लोगों को गोली मार कर, कोई मार दे, तो वहां तो पूल ऑफ ब्लड होना चाहिए, वह मिलेगा। तीसरा मैंने कहा कि आईएसआईएस वालों की एक आदत है कि जब वह किसी एक देश के नागरिकों को बड़ी संख्या में मारते हैं तो उनकी सूची निकालते हैं तो देखो कोई सूची निकली है क्या। चौथा मैंने कहा कि वे इतने निर्दयी हैं कि वे उनका फोटो या वीडियो बना कर बताते हैं। कोई ऐसा वीडियो है क्या?

अध्यक्ष जी, न तो हमें कहीं लाशें मिलीं, न हमें कहीं खून के धब्बे मिले, न कोई सूची सामने आई और न कोई वीडियो या तस्वीर सामने आई। उसके बाद हमने सोचा कि अब कम से कम इनकी तलाश करनी चाहिए। और हमने तलाश करनी शुरू कर दी। यह बात 15 जून की है और उसके बाद संसद का जो पहला सत्र आया वह नवंबर में आया। 24 नवंबर, 2014 को मैं इस सदन में आई, क्योंकि उसके एक दिन पहले दो बांग्लादेशी लोग - शफी और हसन के इंटरव्युज़ चल रहे थे, जो हरजीत को ही कोट कर के कह रहे थे कि वे मारे गए हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह विषय यहां उठाया था। वास्तव में उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था। मैंने स्वयं आपसे समय मांगा था कि मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ, लेकिन जब उन्होंने बोलने को कहा तो मैंने कहा कि बेशक नोटिस नहीं दिया है, पर आप इनको बोलने दीजिए। उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। उसके बाद मैंने उस चर्चा में भाग लिया।

अब मैं यहां आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वह केवल सदन को विश्वास में ले कर नहीं किया, बल्कि इस सदन की अनुमति लेकर किया। यह संयोग है कि उस समय भी पीठासीन आप ही थीं। मैंने क्या कहा था, मैं 24 नवंबर, 2014 की लोक सभा की पूरी कार्यवाही लायी हूँ, लेकिन वह संबंधित अंश पढ़ कर सुनाना चाहती हूँ। मैं सदन से कह रही हूँ कि "आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति यह कह रहा है कि वे मार दिए गए। हमारे छह सोर्ससिज़ यह कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए हैं, ज़िंदा हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह स्वीकार करके कि वे मार दिए गए हैं, मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊं और उनकी तलाश छोड़ दूं। यह आसान विकल्प है। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि हमारे जो छह सोर्सिज़ यह कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए हैं और ज़िंदा हैं, उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ूं और उनकी तलाश करूं। "

मैंने बार-बार सदन में यह कहा कि "मेरा उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं है। मेरे पास ठोस सबूत उनके ज़िंदा होने का नहीं है। लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। तो केवल बुद्धिमत्ता का तकाजा नहीं, जिम्मेदारी का तकाजा भी यह कहता है कि मैं दूसरे विकल्प को स्वीकार करूं और आगे बढ़ूं।" परंतु मैं यहीं नहीं रूकी। मैंने कहा कि "मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ, बता रही हूँ कि जिस दिन मुझे एक भी ठोस सबूत हरजीत की बात का मिल गया तो मैं आकर बता दूंगी कि वे मारे गए हैं। "

उसके आगे मैं यहां बोल रही हूँ कि "मैं आपकी आज्ञा से, इस सदन की अनुमति चाहूंगी, मैंने शब्द इस्तेमाल किया 'अनुमति'। आपकी आज्ञा से इस सदन की अनुमति चाहूंगी कि अगर उन्हें लगता है कि मेरा रास्ता सही है, मुझे हरजीत के बयान पर विश्वास कर के अपने प्रयास रोकने नहीं चाहिए, तो मैं निश्चित चाहूंगी कि मुझे इस सदन की मदद मिले ताकि मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ती रहूँ। " आज ज्योति जी को याद होगा या नहीं होगा, मेरी बात समाप्त होने के बाद वे मुझे बाहर कॉरिडोर में मिले और उन्होंने कहा कि इतना जिम्मेदाराना बयान देने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं यहां वैल से सुन रही थी, जब मैंने कहा कि मैं बोल रही हूँ, खड़गे जी की तो जानकारी सही नहीं थी कि मैंने राज्य सभा में बोला है और कोई प्रिविलेज मोशन आया है, मैं अभी राज्य सभा में बोली ही नहीं हूँ। राज्य सभा में कल का समय तय हुआ है तो मैं वहां कल बोलूंगी। यहाँ एक व्यक्ति बार-बार कह रहे थे कि तीन साल से तो मिसलीड करती आ रही हैं, क्या बोलेंगी? मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि मैं क्या मिसलीड करती आ रही हूँ कि मैंने उनको मरा हुआ घोषित नहीं किया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): यह रिकॉर्ड में तो नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह रिकॉर्ड में तो नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : बोला है ना।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने सदन में जो कहा, वह तो रिकॉर्ड में नहीं आया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं-नहीं, अभी जो बोला, मैं यह कह रही हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नहीं-नहीं, वह रिकॉर्ड में नहीं आया। वे खुद ही अपनी सीट पर बैठकर कहे भी नहीं, उसका रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, फिर उसको कहने का कोई अर्थ नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : चलिए ठीक है। वे बहुत तेज चिल्ला रहे थे। बहुत अच्छी बात है, अगर यह बात नहीं है कि मैं मिसलीड कर रही हूँ। मैं यह कह रही हूँ कि जो बार-बार यह कहा जाता है कि मैं उन्हें मरा हुआ घोषित क्यों नहीं कर देती। हरजीत के बयान पर यकीन क्यों नहीं कर लेती। मैं आज यहाँ खड़े होकर कहना चाहूँगी कि अध्यक्ष जी, बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और यह पाप मैं कभी नहीं करूँगी। जो मैंने इस सदन से अनुमति ली थी, उस अनुमति के बाद मैंने तलाश इतनी ज्यादा कर दी, मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और आज सदन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चला कि शायद टर्की की मदद इसमें मिल सकती है। कोई बाइलेट्रल मीटिंग लिये बिना मैं रात को 12 बजे टर्की पहुँची, सुबह 9 बजे उनके विदेश मंत्री से बात की और 10 बजे वापस लौट आयी। जितने भी देश इस तलाश में मदद कर सकते थे, उन सबसे मैंने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। मैं आज यहाँ कह सकती हूँ कि जब सोर्सेज की बात करती हूँ, वे राह चलते सोर्सेज नहीं हैं, वे सड़क चलते लोग नहीं हैं जो कह रहे हैं कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा। दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा। हम लोग इसमें जो आगे बढ़ रहे थे, वह यही सोचकर बढ़ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी है। या तो ठोस सबूत मारे जाने का मिल जाये, तो वह बता दें और जिन्दा होने का मिल जाये, तो वह बता दें। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं 12 बार उनके परिवारों से मिली हूँ। यह ठीक है तीन बार भगवंत मान जी स्वयं लेकर आये हैं, लेकिन मैं कुल 12 बार मिली हूँ और 12 के 12 बार यह सावधानी मैंने हमेशा बरती कि जो भी जानकारी मेरे पास होती थी, शेयर करने के बाद मैं तीन वाक्य जरूर कहती थी। पहला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है उस बात का, जो मैं कह रही हूँ। दूसरा, यह

जानकारी दूसरे सूत्रों से मिली है। तीसरा, मेरा उनसे कोई डायरेक्ट सम्पर्क नहीं है। 12 के 12 बार मैंने अपनी बात यह कहकर समाप्त की है।

अध्यक्ष जी, क्योंकि मेरे एमओएस, आर्मी चीफ रहे हैं, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे, तो उन्होंने यह कहा कि युद्ध की भी एक परम्परा है। युद्ध जब समाप्त होता है, तो चार श्रेणियों में लोगों को बाँटा जाता है। पहला, POWs, प्रिज़नर ऑफ वॉर्स, जो दूसरे देश की कैद में होते हैं। Missing, जो गुम होते हैं, गायब होते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता। तीसरी श्रेणी Killed लोगों की है, जो मारे जाते हैं। चौथी श्रेणी Believed to be killed की है। मैं आपसे यह कह रही हूँ कि जो मिसिंग नहीं हैं और Believed to be killed हैं, उनके लिए भी सरकारों की यह जिम्मेदारी होती है कि उनकी फाइल तब तक बन्द न की जाये, जब तक उनके मारे जाने का कोई सबूत नहीं मिल जाता। मैं आपको यह कहकर हैरान कर दूँ कि वियतनाम के 'बिलीव्ड टू बी किल्ड' कैटेगरी के लोगों को वे आज तक ढूँढ़ रहे हैं। अमेरिका के दूसरे विश्व युद्ध में मारे गये लोगों को, जो 'बिलीव्ड टू बी किल्ड' की श्रेणी के हैं, उन्हें वे भारत में ढूँढ़ने आते हैं। अगर मैं उन्हें मिसिंग की कैटेगरी से निकाल दूँ और आपके अनुसार 'बिलीव्ड टू बी किल्ड' में भी लेकर आऊँ, तो भी यह फाइल तब तक बन्द नहीं होगी, जब तक उनके मरने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जायेगा। मैंने कहा कि पाप है, ऐसा मैंने किसलिए कहा, आज मैं कह दूँ कि मर गये, कल को उनमें से कोई जिन्दा आकर खड़ा हो गया तो, शायद उस बीच में उसकी दुनिया बदल चुकी होगी। उसका गुनहगार कौन होगा? मैं यह गुनाह अपने माथे नहीं लेना चाहती। इसलिए मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को यह लगता है और जो कन्विन्स्ड हैं कि वे मारे गये और जो कन्विन्स्ड हैं कि मैं असत्य बोल रही हूँ, मैं सत्य को छिपा रही हूँ, वे आजाद हैं। वे जाकर के उनके परिवारजन को कह दें कि वे मारे गये, लेकिन अगर कोई जिन्दा निकल आया, तो जिम्मेदारी उसकी होगी, जो जाकर कहकर आयेगा।

13.00 hours

मैं एक और बात कह रही हूँ कि अगर उन परिवारों में से किसी परिवार का भरोसा मुझसे उठ गया है और उनको लगता है कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ, उनका बच्चा मार दिया गया है तो वे भी अरदास करने के लिए आज़ाद हैं, पर तब फैसले की ज़िम्मेदारी उन पर होगी, अगर कोई ज़िन्दा निकल आया तो। अब एक तस्वीर दिखाई जा रही है कि यह जेल थी और यह जेल ध्वस्त हो गई। सुषमा ने तो कहा था कि ये जेल में हैं। मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि वे जेल में हैं। दिक्कत हम लोगों की यही है कि सेलैक्टिव्ली चीज़ उठा लेते हैं।

अध्यक्ष जी, लोग पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है। 9 तारीख को इराक के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि मोसुल आज़ाद हो गया है, आई.एस.आई.एस. के चंगुल से बाहर निकल आया है। 10 तारीख शाम को मेरे राज्य मंत्री विमान में बैठ गए मोसुल जाने के लिए। 9 तारीख को घोषणा करते हैं वहाँ के प्रधान मंत्री, उससे पहले तो उनका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पहुँच सका। जो स्थिति वहाँ थी, उनके प्रधान मंत्री भी मोसुल नहीं पहुँच पाए। जिस दिन उन्होंने घोषणा की 9 तारीख को, वे उस दिन इंदौर थे। एक कार्यक्रम था। आपको भी मालूम होगा, मैंने वहाँ फोन किया कि आपने घोषणा सुनी। मैंने कहा, वापस आओ, रात को आपको जाना है। 10 तारीख सुबह दिल्ली पहुँचकर शाम का विमान पकड़ लिया। चार दिन वहाँ रहे। आज वे कहते हैं कि जो तस्वीर है, जनरल वी.के.सिंह ने आकर मुझे बताया, और जैसे ही पता लगा कि जनरल वी.के.सिंह वापस आ रहे हैं, अगले दिन मैंने परिवारों को बुला लिया और सारे परिवारों के सामने उनकी बताई हुई बात पहले स्वयं कही और फिर उनसे कहा कि आप बोलो। क्या कहा था उन्होंने? बहुत बड़े अधिकारी से उनकी बात हुई थी बगदाद में, क्योंकि एयरबिल में उनके हाथ कुछ नहीं लगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं बगदाद जा रहा हूँ। क्या कहा था उन्होंने - उन्होंने कहा था कि हमारे पास अपने इंटेलिजैंस सोर्सेज़ से खबर यह है कि वे लोग मोसुल एयरफील्ड से पकड़े गए हैं। उसके बाद कुछ दिन जेल में रखे। फिर उन्हें हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया। उसके बाद उनसे खेती का काम करवाया, लेकिन 2016 के शुरू में उन्हें बदरूस जेल भेज दिया गया। उसके बाद आज तक हमारा उनसे संपर्क नहीं है। वर्ष 2016 की शुरुआत, यानी सवा साल, डेढ़ साल हो गया। इस सवा साल, डेढ़ साल में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि संपर्क नहीं है, 2016 की बात वे कर रहे हैं कि बदरूस जेल में थे। उसके बाद हमारा संपर्क नहीं है। यह बात जस की तस, बिना *कौमा* या *फुल स्टॉप* लगाए मैंने परिवारों को बताई। फिर मैंने जनरल साहब से कहा कि आप डायरेक्ट बताइए। जनरल साहब ने हूबहू वही बात उनके सामने रखी। कभी सुषमा ने नहीं कहा कि वह बदरूस जेल में आज हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि यह तस्वीर केवल इतना बताती है कि जेल ढह गई, लेकिन यह तस्वीर हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। हमारे प्रश्न हैं कि क्या उस समय जब यह जेल ढही, भारत के नागरिक क्या उसमें थे? अगर थे तो कितने थे, कौन-कौन थे? दूसरा, क्या जेल को ध्वस्त करने से पहले वहाँ के बंदियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था या वे सारे के सारे मार दिए गए? पर अगर यहाँ के सारे प्रिज़न के लोग, क्योंकि वहाँ बीसियों हज़ार लोग आ सकते हैं, इतनी बड़ी प्रिज़न है, तो उन लाशों का क्या हुआ? क्या वे लाशें आज भी हैं और क्या इस हालत में हैं कि डीएनए करके उनका यह पता लगाया जा सके, ये सब प्रश्न अनुत्तरित हैं। यह कह देना कि सुषमा ने कहा था कि वे जेल में हैं और यह देखो, जेल तो ढह गई, यह जो पूरा भ्रम फैलाया गया है पिछले पाँच दिनों से, मैं इसी पर स्थिति स्पष्ट करना चाहती थी।

दूसरी बात, जब इराक के विदेश मंत्री यहाँ आए तो मैंने आपसे पहले दिन अनुमति मांगी थी कि मैं पाँच बजे इसलिए बोलना चाहती हूँ कि 12 से 3 बजे तक हमारी मीटिंग है। मेरे दोनों राज्य मंत्री उनके साथ थे। उन्होंने हूबहू वही बात कही कि एक्सेलेंसी, हमारे पास न कोई ठोस सुबूत ज़िन्दा होने का है, न कोई ठोस सुबूत मारे जाने का है और जिस अधिकारी की बात आपके विदेश मंत्री कर रहे हैं, वह भी आज सर्टेन नहीं है। क्योंकि 2016 के बाद उन्होंने कहा कि हमारा कोई संपर्क नहीं है। उनके पास कोई सूचना 2016 के बाद की नहीं है। इसलिए वे भी आज सर्टेन नहीं हैं कि वे ज़िन्दा हैं या मर गए, लेकिन हम पूरी तरह से उनकी तलाश करेंगे। उन्होंने बाहर भी कहा कि 'We do not know whether they are alive or dead'. और अखबार की सुर्खी आती है, 'FM Iraq says, they are not alive'. He has never said that they are not alive. He only said: "whether they are alive or dead, we do not know". मैं आपको बताती हूँ कि इतनी पैशनेट्ली मेरी और उनकी बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं जो कंपैशन आपमें देख रहा हूँ और जिस पैशन से आप बात कर रही हैं, हमारे यहाँ इराक में कहा जाता है कि wait is worse than death. लेकिन क्या करें एक्सेलेंसी, इस स्थिति में केवल "वेट " की ही आवश्यकता है और हम कुछ नहीं कर सकते।

उसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए एक्सेलेन्सी, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। उन्होंने कहा क्या। मैंने कहा कि अब आप मुझे जो भी जानकारी दें, वह सबूत के साथ दें। मैं बिना सबूत के, जानकारी नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने बिना सबूत की जानकारी पर बारह बार परिवारों को तसल्ली दी है। अब मैं उन्हें बिना सबूत के, तसल्ली नहीं दे सकती। मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा ठोस सबूत जो हो सकता है, तो मैंने ही उन्हें सुझाव दिया कि अगर आप इस जेल के वार्डन से सम्पर्क कर सकते हैं तो करिए। उनके पास बंदियों की सूची होती है। आप देखिए कि क्या उस सूची में भारतीय नागरिकों के नाम हैं। अगर हैं तो किन-किन के हैं। यह एक बड़ा पुख्ता सबूत होगा। मैंने कहा कि अगर सूची नष्ट हो गयी और व्यक्ति बच गया, क्योंकि मैंने सुना था कि जेल वार्डन पहले ही निकल गए, मुझे नहीं मालूम।

दूसरा, मैंने उनसे कहा कि फिर उनकी याददाश्त के अनुसार से इतना तो बता दें कि क्या वहां भारतीय नागरिक थे? अगर थे तो कितने थे। यह सबसे आसान और इसका सबसे ज्यादा पुख्ता सबूत होगा। उन्होंने यह कहा कि हम इन्हें इराकी की तरह ही ढूंढेंगे, उनके जो मन पर बोझ है, वह यह है कि ये भारतीय इराक का पुनिर्निर्माण करने आए थे। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, लेकिन ये वहां आ कर फंस गए। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको ढूंढें। जो बात आपने कही है, हम उसको भी सामने रखेंगे और बाकी हम जितना कर सकेंगे, वे करेंगे। मैंने कहा, पर मुझे सबूत दीजिए। मैं आज तक सबूत मांगती रही, मुझे सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं परिवारों को कहती रही कि यह जानकारी है, वह भी दूसरे सूत्रों के माध्यम से मिली हुई है। हमारा कोई डायरेक्ट सम्पर्क नहीं है। लेकिन, मैंने कहा कि अब मुझे सबूत दीजिए। अगर वे ज़िंदा हैं तो यह बताइए कि वे कहां हैं, कितने हैं, कौन-कौन हैं। सबूत के तौर पर, अगर वे हिन्दी या गुरुमुखी में लिख कर अपना नाम, अपने गांव का नाम दे दें तो वह और भी ज्यादा पुख्ता सबूत होगा या इमेज मिल जाए। जो भी दीजिए, ऐसा सबूत दीजिए, जिसको मैं पक्का और ठोस सबूत कह सकूं। उसके बिना न तो मैं उन परिवारों को बुलाऊंगी और न उनसे बात करूंगी, जब तक मेरे पास सबूत नहीं आ जाता। उन्होंने केवल मुझे यह बात नहीं कही कि मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं। उसके बाद कल एम.जे. अकबर साहब ने उन्हें डिनर दिया। उसमें भी उन्होंने उस बात को दोहराया कि अपनी विदेश मंत्री से यह बात कह देना कि हम पूरी तरह से तलाश करेंगे और अब उन्हें जो भी बताएंगे, वह सबूत के साथ बताएंगे, बिना सबूत के नहीं बताएंगे।

अध्यक्ष जी, इसलिए, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मैंने कभी गुमराह नहीं किया और गुमराह करने का लाभ मुझे क्या होता? मेरी लोकतंत्र में बहुत आस्था है और संसद में उससे भी ज्यादा आस्था है। मैं यह मानती हूं कि अगर कोई मंत्री या कोई सांसद संसद के फर्श पर खड़े होकर गलतबयानी करता है तो यह घोर अपराध है। लेकिन, फिर भी अगर वह यह करता है तो किसी लाभ के लिए करता होगा, या तो व्यक्तिगत लाभ या उसकी सरकार को लाभ या किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए करता होगा। मैं पूछना चाहती हूं, अपने साथियों से कि क्या गुमराह करने से मुझे कोई लाभ मिल रहा है, क्या लाभ हमारी सरकार को मिल रहा है और किसका क्या नुकसान हो रहा है? मैं तो अपना फर्ज़ निभा रही हूं। देखिए, अगर मैं उन्हें मरा हुआ घोषित कर दूं तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। न ये लोग सवाल पूछेंगे, न उनके परिवारजन मेरे पास आएंगे। वे कहेंगे कि ठीक है, आपने कह दिया, वे मारे गए।

लेकिन, अध्यक्ष जी, मैं आपको एक और घटना बताती हूं, जो इनके सुनने लायक है। इसी पंजाब के और छः परिवार मुझसे एक साल पहले मिलने आए। उन्होंने कहा, किसी का पति था, किसी का पिता और किसी का बेटा था, जो सन् 1971 की लड़ाई में शहीद घोषित कर दिए गए। वे बोले कि तब टी.वी. तो होता नहीं था, ऑल-इंडिया-रेडियो में भी कह दिया गया कि वे शहीद हो गए और हमने उन्हें शहीद मानकर उनका अरदासा कर दिया और हम आगे बढ़े। वे कहते हैं, 45 सालों के बाद वर्ष 2016 में हमारे गांव के पास का एक व्यक्ति एक जेल से छूट कर आया और उसने आकर हमसे कहा कि वे तो ज़िंदा हैं, वे तो मेरे साथ जेल में थे। तब से वह परिवार मुझे कह रहे हैं कि उन्हें निकाल कर लाओ, निकाल कर लाओ। मैंने उसी दिन उनसे उनकी फोटोज़ और उनके पूरे विवरण ले

लिए और गौतम बम्बावाले, जो इस्लामाबाद में हमारे हाई कमिश्नर हैं, उन्हें मैंने यह भेजा और कहा कि आप पता करके बताइए कि एक व्यक्ति बता रहा है कि इस जेल में हैं, इस जेल में से पता करके बताइए। अब पाकिस्तान कहता है कि वे तो हमारे पास नहीं हैं, हमारे पास जो कैदियों की सूची है, उसमें इनका नाम नहीं है। अब उनके परिवारवाले तो मेरे सिर पर सवार हैं कि आप उन्हें लाओ, निकाल कर लाओ।...(व्यवधान)

देखिए, ये माननीय सदस्य सहमति में सिर हिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह बात मालूम है।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): ...(व्यवधान) यह बिल्कुल सच कह रहा हूं। वह परिवार है, जो मुझसे मिलने आया था और जब उनका कोई पड़ोसी आया तो उन्होंने कहा कि वे जिंदा हैं, वे अपने गांव में बुती लगा कर बैठे हैं, मैंने इसके लिए आपके यहां लेटर भी दिया था।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपकी ही बात कह रही हूं। एक तरफ तो 45 साल बाद वे मुझसे कह रहे हैं कि निकाल कर लाओ। दिन में दो बार उनका फोन आता है, क्योंकि जब मैं बीच में अस्वस्थ थी, तो उनको लगा कि वह मेरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब दिन में दो बार उनका फोन आता है। मैं उन्हें कह रही हूं कि हम लोग इसमें लगे हुए हैं, एक जुडिशियल कमेटी होती है। हम उसका पुनर्गठन करना चाहते हैं कि वह जाकर जेल में देखे। मैं यह कह रही हूं कि एक तरफ तो यह है और मैं एक अन्य केस बताती हूं, एक बच्चा जो सात साल का था, करीब आज से 21 साल पहले अपने पिता के साथ खेत में खेलते–खेलते सरहद पार कर गया, उसका नाम नानक सिंह है। अब उसके पूरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि वह तो पाकिस्तान की जेल में है, आप उसको लाओ। हम लोग उनको बार–बार कह रहे हैं कि उसके लिए पाकिस्तान मना करता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे यहां नहीं है। हम लोग फोटो भेजते हैं कि इस शक्ल का कोई व्यक्ति आपके यहां है, तो भी पाकिस्तान मना करता है। उनके परिवार वालों ने पंजाब–हरियाणा हाई कोर्ट में रिट डाल दी कि सरकार से कहो कि उसे निकाल कर लाएं। मेरा यह कहना है कि एक तरफ जो लोग मरे हुए घोषित कर दिए गए,...(व्यवधान) एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। इसके बाद आप जो कुछ भी पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगी।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this.

*â€¦(Interruptions)â€¦**

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुषमा स्वराज जी, आप अपनी बात जारी रखें।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : एक तरफ नानक सिंह का पूरा परिवार मुझसे कह रहा है कि आप उसको निकाल कर लाओ, पाकिस्तान चाहे कुछ भी कहता रहे, मगर आप उसे निकाल कर लाओ। दूसरी तरफ ये छह परिवार कह रहे हैं कि वर्ष 1971 में तत्कालीन सरकार ने हमारे लोगों को शहीद घोषित कर दिया था, मगर वे तो जिंदा हैं, उन्हें निकाल कर लाओ। मैं कुछ और बताती हूं जो आपको मालूम होगा, मेजर धनसिंह थापा को उस समय की सरकार ने शहीद घोषित किया, मरणोपरांत परमवीर चक्र से पुरस्कृत भी किया और बाद में वे जिंदा निकल कर आ गए, क्योंकि वे चीन के जेल में थे। मेरी रूस के विदेश मंत्री से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि क्या आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे तीन ट्रक ड्राइवर पकड़े गए थे और वे सात साल के बाद जिंदा निकलकर आएं, इस लिए आप धीरज रखिए। मैं यह नहीं कह रही हूं कि सात साल, इक्तालीस साल या पैंतालीस साल इंतजार कीजिए, बल्कि मैं यह कह रही हूं कि अगर एक सप्ताह बाद भी इराक के विदेश मंत्री जो कुछ कह कर गए हैं, अगर उन्होंने सबूत दे दिया, तो मैं आकर कबूल कर लूंगी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि इतने जिंदा हैं, इतने मारे गए, तो उसे कबूल कर लूंगी। लेकिन, जो भी बात बोलूंगी, वह सबूत के साथ बोलूंगी। मैं यह भी कह रही हूं कि आज तक एक बार भी मैंने अपनी ओर से यह नहीं कहा कि वे जिंदा हैं। मैंने केवल यह कहा कि एक व्यक्ति कह रहा है, मारे गए; लेकिन बाकी हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए हैं, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी का तकाजा है कि वह उनकी तलाश करे। मैं उनका तलाश कर रही हूं और इसी सदन से अनुमति लेकर तलाश कर रही हूं।

अध्यक्षा जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा, तब तक मैं तलाश करती रहूंगी, क्योंकि मैं दोबारा दोहराना चाहती हूं कि बिना सबूत के किसी को मरा हुआ कहना पाप है और मैं इस पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। मेरा अंतर्मन कहता है कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन कोई एक सबूत ऐसा मिलेगा, जो इस कहानी के रहस्य पर से पर्दा उठाएगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूं। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। प्लीज, आप लोग बैठिए। इस पर प्रश्न नहीं होंगे। इस विषय पर, स्टेटमेंट पर प्रश्न नहीं होते हैं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब स्टेटमेंट हो गया है, अगर कहें तो एक पंद्रह मिनट का शून्य काल ले सकते हैं।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You cannot have discussion on the statement.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं स्टेटमेंट के ऊपर बहस नहीं करना चाहता हूं। फॉरेन अफेयर्स के ऊपर हम नोटिस देंगे और जब डिटेल चर्चा होगी, तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। उस वक्त हम हिसाब–किताब पूरा कर लेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हिसाब–किताब क्या पूरा करना है।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सरकार ने तीन साल में क्या किया, इसके लिए इन्होंने बताया और 14 मई 2014 को क्या–क्या कहा?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, आगे बढ़िए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : इस बारे में जो उन्होंने कहा, उसको हम ने सुना और आपके आदेश के ऊपर सुना। मैं इसी समय आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने रूल 374(ए) के तहत 6 लोगों को सस्पेंड किया है।

माननीय अध्यक्ष : ऐसी चर्चा नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : लेकिन यहां पर अनुराग ठाकुर जी ने जो किया है, उसके बारे में आपने उनको तो माफ कर दिया।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, माफ नहीं किया है। उनको हिदायत दी है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: लेकिन उन 6 सदस्यों को आपने बाहर रखा है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No I am sorry, nothing will go on record.

...(*Interruptions*) â€¦*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मान जो हैं, यही चीज जब वीडियो उन्होंने बनाया था, तो उनको तो दो सैशन के लिए सस्पेंड किया। â€¦*

HON. SPEAKER: Do not do like this. No I am sorry.

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, कुछ नहीं होता है, कोई नियम में कुछ नहीं।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. Nothing will go on record.

...(*Interruptions*) â€¦*

HON. SPEAKER: Do you not want to carry on?

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 P.M.

-

13.16 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes

past Fourteen of the Clock.

14.16 hours

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen Minutes past

Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)